झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्रांक– वo पo

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

EoDB Team

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।

उद्योग निदेशालय, गोपनीय कोषांग
27 JUL 2017
झारखण्ड, राँची

रांची, दिनांक–

विषयः– **Ease of Doing Business के तहत् किसी Establishment का निरीक्षण करने के संबंध में।**

महाशय,

यदि किसी अधिष्ठान द्वारा यह आवेदन समर्पित किया जाता है कि उसे उस लकड़ी के पातन/परिवहन के लिए अनुंज्ञा पत्र चाहिए जो उसके premises में अवस्थित पेड़ों की कटाई से प्राप्त होगी, तो निरीक्षण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(i) आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा खड़े वृक्षों की जांच एवं पातन की अनुमति के पश्चात तैयार किए गए Log register and stacked timber की जांच दोनों को एक ही निरीक्षण का अंग माना जाएगा।

(ii) यदि अधिष्ठान द्वारा अगली बार उसकी premises में अवस्थित different set of trees की लकड़ी के पातन/परिवहन अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया जाता है तो वह पदाधिकारी इस आवेदन की जांच नहीं करेगा जिसने पिछलीबार जांच की थी बल्कि संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस आवेदन की जांच प्रमण्डल में पदस्थापित सहायक वन संरक्षक अथवा किसी निकटवर्ती वन क्षेत्र पदाधिकारी से कराई जायेगी।

कृपया इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को निदेर्शित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 3042 दिनांक– 24/07/17

प्रतिलिपि–निदेशक, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

d/manoj/277